

संशोधित अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01 / 2014-15

1. विभाग का नाम :- कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार राँची।
2. विज्ञापनदाता का नाम :- परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0सिमडेगा।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि/समय :- दिनांक 18.10.2014 से 21.10.2014 तक कार्यालय दिवस में 4.00 बजे अपराहन् तक।
4. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0कार्यालय,सिमडेगा।
5. निविदा प्राप्त करने की तिथि/समय :- 22.10.2014 (3.00 बजे अपराहन् तक)
6. निविदा खोलने की तिथि/समय :- 22.10.2014 (4.00 बजे अपराहन्)
7. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :- परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0सिमडेगा के कार्यालय कक्ष।
8. कार्यो की विस्तृत विवरणी:-

| क्र० सं० | योजना का नाम | प्राक्कलित राशि (रु०में) | अग्रधन की राशि (रु०में) | परिमाण विपत्र का मूल्य (रु०में) | कार्य समाप्ति की अवधि |
|----------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सिमडेगा का मरम्मत कार्य। | 11,45,000/- | 22,900/- | 2,500/- | तीन माह |
| 2. | अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास सिमडेगा का मरम्मत कार्य। | 9,68,000/- | 19,360/- | 1,250/- | तीन माह |
| 3. | अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय हाटिंगहोडे का मरम्मत एवं चाहरदीवारी निर्माण कार्य। | 7,32,000/- | 14640/- | 1,250/- | तीन माह |
| 4. | सिमडेगा प्रखण्ड अर्न्तगत दियापत्थल से डायलॉगा में 1 कि०मी० पी०सी०सी० पथ निर्माण। | 15,00,000/- | 30,000/- | 2,500/- | तीन माह |
| 5. | कुरडेग प्रखण्ड अर्न्तगत कोलमुण्डा से टोंगरीटोली तक 1 कि०मी० पी०सी०सी० पथ निर्माण। | 15,00,000/- | 30,000/- | 2,500/- | तीन माह |
| 6. | कुरडेग प्रखण्ड अर्न्तगत सरईपानी से रावणखोता तक 1 कि०मी० पी०सी०सी० पथ निर्माण। | 15,00,000/- | 30,000/- | 2,500/- | तीन माह |
| 7. | कुरडेग प्रखण्ड अर्न्तगत भलमण्डा से कोरवा बस्ती तक 1 कि०मी० पी०सी०सी० पथ निर्माण। | 15,00,000/- | 30,000/- | 2,500/- | तीन माह |
| 8. | केरसई प्रखण्ड अर्न्तगत करीलकुचा टोंगरीटोली में केरसई से करीलकुचा तक 1 कि०मी० पी०सी०सी०पथ निर्माण। | 15,00,000/- | 30,000/- | 2,500/- | तीन माह |

निविदा की भार्त्त www.simdega.nic.in तथा समाहरणालय एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0सिमडेगा।

पत्रांक(II)/ITDA सिमडेगा दिनांक.....

निविदा हेतु नियम एवं भर्त्तः:-

- 1 प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है।
- 2 निविदादाता को ग्रुप संख्या के अनुसार ग्रामीण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार एवं जिला परिषद् सिमडेगा के समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
- 3 परिमाण विपत्र प्राप्त करते समय निविदा कारों के अद्यतन आयकर, स्वच्छता प्रमाण पत्र, अद्यतन लेबर लाईसेंस, अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नम्बर की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
- 4 निविदा प्राप्ति की तिथि को किसी कारणवश अवकाश घोषित होने पर अगले दिन निविदा प्राप्ति की जाएगी।
- 5 अग्रधन राशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से विधिवत् प्रतिज्ञप्ति कर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवीं निगम) 3/5 वर्षीय सावधि जमा जो झारखण्ड राज्य के किसी भी डाकघर से निर्गत हो के रूप में जमा करना होगा।
- 6 परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण विपत्र में अंकित राशि के अनुसार आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक (भारतीय स्टेट बैंक का होना चाहिए) के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निर्गत हो, जो लौटाया नहीं जाएगा। बैंकर्स चेक भारतीय स्टेट बैंक सिमडेगा के मुख्य शाखा में भुगतये होगा।
- 7 निविदा डालने से पूर्व निविदाकार कार्यस्थल का निरीक्षण कर एवं निर्माण सामग्रियों के श्रोतों की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे।
- 8 परिमाण विपत्र क्रय करने के लिए निबंधित संवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत सिर्फ एक व्यक्ति ही कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- 9 निविदादाता को अपना दर अंक एवं शब्द दोनों में दर्ज करना होगा।
- 10 ससमय कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र वाले निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 11 कार्य आवंटित होने के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को कार्य आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 12 विविध एवं अन्य कार्यों की जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में संपर्क स्थापित कर किया जा सकता है।
- 13 सर्त्त निविदा मान्य नहीं होगा।
- 14 परिमाण विपत्र में अंकित दर से निविदादाता द्वारा उद्धृत अधिक दर मान्य नहीं होगा।
- 15 जैसे संवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके जिम्मे कोई कार्य लंबित हो, या विभाग में मामला विचाराधीन हो।
- 16 गुण नियंत्रण प्रतिवेदन संवेदक को प्रत्येक चालू विपत्र के साथ अपने खर्च पर स्वयं समर्पित करना होगा।
- 17 संवेदक द्वारा स्थल पर सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- 18 कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री तथा सीमेंट, छड़, चिप्स, ईट, बालू आदि के गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ कार्यस्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं उनका रख-रखाव तथा व्यवस्था संवेदक को निजी खर्च से वहन करना होगा।
- 19 आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
- 20 बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0 सिमडेगा।